बिहार सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

:: आदेश ::

पटना—15, दिनांक—30.01.2018

विशेष निगरानी इकाई, निगरानी विभाग के पुलिस महानिरीक्षक के पत्रांक—04/09/2018/वि.नि.ई./पटना दिनांक 02.01.2018 के द्वारा सूचित किया गया है कि श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से.(बिहार:2007) एवं श्रीमती शिखा रानी (पति—श्री दीपक आनन्द) के विरूद्ध अप्रत्यानुपातिक धर्नाजन के आरोप में धारा—13(2)—सह—पठित धारा—13(1)(e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 एवं धारा—109 भा.द.वि.—सह—पठित 13(2)—सह—पठित 13(1)(e) भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या—01/2018 दिनांक 02.01.2018 दर्ज किया गया है और उक्त कांड अनुसंधानान्तर्गत है।

2. विशेष निगरानी इकाई के उक्त सूचना के आलोक में राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरांत अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम—3 के उप नियम—3 में निहित प्रावधान के अन्तर्गत श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से.(बिहार:2007), पदस्थापन की प्रतीक्षा में, सामान्य प्रशासन विभाग को तत्काल निलंबित कर श्री आनन्द का मुख्यालय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना के कार्यालय में निर्धारित करने का निर्णय लिया गया है।

3. राज्य सरकार के उक्त निर्णय के आलोक में श्री दीपक आनन्द को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है तथा निलंबन अवधि में श्री आनन्द का मुख्यालय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना का कार्यालय में निर्धारित किया जाता है।

4. निलंबन की अवधि में श्री आनन्द को अखिल भारतीय सेवाएं (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1969 के नियम—4 के अधीन मात्र जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

30/1

(दयानिधान पाण्डेय)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :—6/आ.—02/2018 सा.प्र.—**1442** पटना—15, दिनांक—**30.01.2018**

प्रतिलिपि :— श्री दीपक आनन्द, भा.प्र.से.(बिहार:2007), पदस्थापन की प्रतीक्षा में, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30/1

सरकार के अपर सचिव।

P.T.O.

ज्ञापांक :—6/आ.—02/2018 सा.प्र.—**1442** पटना—15, दिनांक—**30.01.2018**

प्रतिलिपि :— पुलिस महानिरीक्षक, विशेष निगरानी इकाई, बिहार, पटना/ प्रधान सचिव, निगरानी विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक :—6/आ.—02/2018 सा.प्र.—**1442** पटना—15, दिनांक—**30.01.2018**

प्रतिलिपि :— महालेखाकार, बिहार, पटना/सचिव, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/स्थापना पदाधिकारी, कैरियर मैनेजमेंट डिवीजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली/स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, नई दिल्ली/मुख्य सचिव, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव, बिहार, पटना/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार, पटना/सरकार के सभी विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/उप मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, बिहार, पटना/मुख्य सचिव कोषांग (कम्प्यूटर सेल) पटना/पटना सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/जिला कोषागार, पटना/सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के प्रशाखा—01/ प्रशाखा—06 (निलम्बन समीक्षा पटल हेतु)/विभागीय आई. टी. मैनेजर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।